2 3 AUG 2018

अधिसूचना

यतः, छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद् द्वारा दिनांक 14.03.2016 को आयोजित बैठक में संकल्प लिया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे और विनिश्चय किया कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एवं सर्जन (सीपीएस) मुम्बई द्वारा दिया गया कतिपय डिप्लोमा फेलोशिप पाठ्यक्रम, पर्याप्त गांरटी देता है कि ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति (यों) के पास प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क. 11 सन् 1990) की धारा 26क के अधीन वर्णित प्रावधानों के अनुसार है, के लिये अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल होगा;

और यतः, ऐसी रिपोर्ट / अनुशंसा जैसा कि परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, के आधार पर, राज्य शासन उपयुक्त समझता है कि परिषद् द्वारा दी गई रिपोर्ट / अनुशंसा के अनुसार ऐसी अईता रखने वाला व्यक्ति अपना नाम रिजस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार है;

अतएव, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क. 11 सन् 1990) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"f	डेप्लोमा पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय पाठ्य	क्रम)
(1)	(2)	(3)
	डिप्लोमा इन ओप्थालमिक मेडिसिन एवं सर्जरी	डीओएमएस
	प्रसूतिशास्त्र और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा	डीजीओ
	बाल स्वारथ्य में डिप्लोमा	डीसीएच

	पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉर्ज में डिप्लोमा	डीपीबी
	त्वचा विज्ञान और रतिजरोग (वेनेरोलॉजी) में डिप्लोमा	डीडीवी
	डिप्लोमा इन एनेरथेसिया	डीए
	डिप्लोमा इन मेडिसिन	डीएमईडी
1. 100-5	डिप्लोमा इन सर्जरी	डीएसयूआरजी
2	डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी	डीसीएआरडी
	डिप्लोमा इन डायबिटिज	डीडीआईएबी
	डिप्लोमा इन ओटो–हिनो– लारीन्जोलॉजी (ईएनटी)	डीओआरएल
	डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डीओआरटीएचओ
	डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन	डीपीएम
	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोलॉजी	डीएमआरई
	डिप्लोमा इन टयूबरकुलिसीस डिसीज	टीडीडी
	डिप्लोमा इन फैमिली प्लानिंग	डीएफपी
	डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डीपीएच
	डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	डीटीएम
	डिप्लोमा इन ट्रोपिकल मेडिसिन एंड हेल्थ	डीटीएमएच
	डिप्लोमा इन लैप्रोस्कोपी एण्ड एंडोस्कोपी	डीएलई

डिप्लोमा इन इन्फरटीलिटी एंड आर्ट	डीआईएआरटी''
487	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

NOTIFICATION

Whereas the Chhattisgarh Medical Council has resolved in meeting held on dated 14-03-2016 and has come to a conclusion and decided that certain diploma fellowship courses offered by the college of Physicians and Surgeons (CPS) Mumbai is Sufficient Guarantee that person(s) possessing such qualification would possess the Knowledge and Skill requisite for practice of medicine, which is in consonance with the provisions laid under Section 26A of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No.11 of 1990);

And whereas, based on such report/ recommendation as furnished by the Council, the State Government thinks fit that possession of such qualification as so reported/recommended by the Council, entitle person(s) to have his/her name (s) entered in the register;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No.11 of 1990), the State Government, hereby, makes the following amendment, namely:-

AMENDMENT

In Schedule to the said Act,-

3

In Schedule, below the existing entry, the following shall be added, namely;-

"DIPLOMA COURSES (TWO YEAR COURSE)			
	(1)	(2)	(3)
		Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery	DOMS
		Diploma in Gynecology and Obstetrics	DGO
		Diploma in Child Health	DCH

	2	
	Diploma in Pathology and Bacteriology	DPB
	Diploma in Dermatology and Venereology	DDV
	Diploma in Anesthesia	DA
	Diploma in Medicine	DMED
1. 781	Diploma in Surgery	DSURG
	Diploma in Cardiology	DCARD
	Diploma in Diabetes	DDIAB
	Diploma in Oto-Rhino- Laryngology (E.N.T.)	DORL
	Diploma in Orthopedics'	DORTHO
	Diploma in Psychological Medicine	DPM
	Diploma in Medical Radiology and Electro logy	DMRE
	Diploma in Tuberculosis Diseases	TDD
•	Diploma in Family Planning	DFP
	Diploma in Public Health	DPH
	Diploma in Transfusion Medicine	DTM
	Diploma in Tropical Medicine and Health	DTMH
	Diploma in Laparoscopy and Endoscopy	DLE
	Diploma in Infertility and ART	DIART"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,